राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 1927/2013

जगदीश प्रसाद गोयल **–अपीलार्थी**

बनाम

1. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
2. ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी, पंचायत समिति सोजत, पाली।
3. संयुक्त निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, जोधपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 31.12.2013
आदेश की दिनांक : 05.02.2024

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री राकेश कुमावत, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री जगन्नाथ खण्डप्पा, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– चेतन राम देवडा, सदस्य
लेखराज तोसावडा, सदस्य

आदेश

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति आदेश दिनांक 18.09.1979 (अनुलग्नक–1) द्वारा तृतीय श्रेणी अध्यापक के पद पर वेतन श्रृंखला 7 के अन्तर्गत 355–570 में प्रारम्भिक वेतन 355 तथा देय मंहगाई भत्ते पर अस्थाई रूप से की गई थी तथा अपीलार्थी को राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, मांडा पदस्थापित किया गया। उप निदेशक माध्यमिक शिक्षा विभाग जोधपुर द्वारा दिनाक 12.05.2000 को विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आहूत कर राजस्थान अधीनस्थ सेवानियम 1971 के शैड्यूल प्रथम के आधार पर अपीलार्थी को द्वितीय वेतन श्रृंखला अध्यापक के पद पर वर्ष 1998–99 की रिक्तियों के विरूद्ध चयन कर पदोन्नति प्रदान की गई, जिसकी पालना में जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक प्रथम पाली द्वारा आदेश दिनांक 20.07.2000 (अनुलग्नक–2) द्वारा अपीलार्थी को पदोन्नति उपरांत राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, झाला की चौकी, रायपुर, पाली पदस्थापित किया गया, जिसमें अपीलार्थी का नाम क्रम संख्या–11 पर अंकित है। अपीलार्थी द्वारा राजस्थान सिविल सेवा पेंशन नियम 1996 के नियम 50 (1) के प्रावधानानुसार स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति हेतु आवेदन किया गया। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए आदेश दिनांक 29.06.2005 (अनुलग्नक–3) जारी कर अपीलार्थी को दिनांक 01.10.2005 द्वारा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति प्रदान की गई। स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति आदेश दिनांक 29.06.2005 की पालना में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय नं. 1 सोजत नगर पाली से अपीलार्थी को कार्यमुक्त कर दिया गया। अपीलार्थी की सेवानिवृत्ति पश्चात् ब्लॉक प्रा.शि. अधिकारी पंचायत समिति सोजत पाली द्वारा आलौच्य आदेश दिनांक 26.11.2005 (अनुलग्नक–5) द्वारा अपीलार्थी से 25796/– रूपये की राशि की वसूली के संबंध में अपीलार्थी को

आदेशित किया गया कि अपीलार्थी अधिक आहरित राशि पुनः राजकोष में जमा करावे। उक्त आदेश के अनुसरण में अपीलार्थी को प्रदत्त ग्रेच्युटी राशि में से 25,796/– रूपये की कटौती कर ली गई (अनुलग्नक–6 से 8)। आलौच्य आदेश दिनांक 26.11.2005 जारी करने से पूर्व अपीलार्थी को कोई सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया। अपीलार्थी द्वारा मालूम करने पर पता चला कि पूर्व में अपीलार्थी को वेतन श्रृंखला 6500–10500 में वेतन निर्धारण किया गया था। तत्पश्चात् वेतनमान नियम 1998 के अन्तर्गत अपीलार्थी की वेतन श्रृंखला संशोधित करते हुए वेतन श्रृंखला 5500–9000 में वेतन नियतन किया गया। जिसके आधार पर अपीलार्थी से वसूली की जा रही है। अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थी से की गई कटौती राशि अपीलार्थी को पुनः लौटाई जावे एवं अपीलार्थी के समान प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्णित किये जाने के कारण अपीलार्थी का प्रकरण पुनः रिवाईज किया जाकर अपीलार्थी को वेतन श्रृंखला 6500–10500 में वेतन स्थिरीकरण 8200/– पर स्थिरीकरण किया जावे एवं ग्रेच्युटी भुगतान राशि भी अपीलार्थी का वेतन 8200/– मानते हुए किया जावे तथा अपीलार्थी से वसूल की गई राशि को लौटाई जावे लेकिन प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदनों पर कोई विचार नहीं किया गया (अनुलग्नक–9)।

अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर आदेश दिनांक 26.05.2011 को निरस्त फरमाया जावे। अपीलार्थी से वसूल की गई राशि 25,796/– रूपये मय 18 प्रतिशत वार्षिक ब्याज से अपीलार्थी को दिलवाई जावे। प्रत्यर्थीगण को यह भी निर्देश प्रदान किये जावें कि अपीलार्थी का वेतन श्रृंखला 6500–10500 में वेतन 8200/– पर स्थिरीकरण किया जावे एवं अपीलार्थी की ग्रेच्युटी का भुगतान भी अन्तिम वेतन 8200/– मानते हुए अपीलार्थी को दिया जावे एवं परिणामस्वरूप पैशन संशोधित की जाकर समस्त परिलाभ व एरियर राशि का भुगतान 18 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के अपीलार्थी को प्रदान किये जावे।

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि अपीलार्थी राज्य सरकार के दिशा–निर्देशो और नियमो एवं प्रावधानो के तहत् प्रदत्त सेवा परिलाभ अंगीकार, स्वीकार एवं आहरित करते हुए दिनांक 01.10.2005 को समस्त सेवापरिलाभ और समस्त बकाया का निपटान (स्वेच्छा से बकाया राशियां जमा) करवाते हुए स्वैच्छिक सेवानिवृत हुआ है। अपीलार्थी ने बिना कोई वाद कारण उत्पन्न हुए दिनांक 01.10.2005 को सेवानिवृत होकर दिनांक 31.12.2013 को लगभग 9 वर्ष के अन्तराल पश्चात अनवाश्यक लाभ प्राप्ति के प्रयास में निरर्थक तथ्यो पर उक्त अपील प्रस्तुत की है। राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण अधिनियम 1976 अन्तर्गत [Sec-9] Limitation for appeals के प्रावधानों की अनुपालना में उक्त प्रकरण Limitation को दृष्टिगत रखते

अधिकरण द्वारा विचारण किया जाना न्याय हित में आवश्यक है। अतः अपील अपीलार्थी निरस्त किये जाने योग्य है।

हमने अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् अधिवक्ता की अपील पर बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया गया।

प्रस्तुत अपील में प्रत्यर्थी विभाग द्वारा जारी वसूली आदेश दिनांक 26.11.2005 (अनुलग्नक–5) के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है, जो अपीलार्थी की स्वैच्छिक सेवानिवृति दिनांक 01.10.2005 (अनुलग्नक–4) के पश्चात जारी किया गया है। वसूली नोटिस के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधिक वेतन आहरित करने के आधार पर वसूली नोटिस जारी किया गया है। अपील के अनुसार अपीलार्थी को पहले वेतन 6500–10500 में वेतन निर्धारण किया गया था। उसके पश्चात वेतन निर्धारण नियम 1998 के अंतर्गत अपीलार्थी की वेतन श्रृंखला संशोधित कर वेतन श्रृंखला 5500–9000 में वेतन नियतन किया गया है। इस आधार पर अपीलार्थी से वसूली की जा रही है। अपीलार्थी द्वारा पूर्व में उसका वेतन 6500–10500 में वेतन नियतन किये जाने और उसके पश्चात उसे संशोधित कर वेतन श्रृंखला 5500–9000 में वेतन नियतन करने के संबंध में कोई दस्तावेज पत्रावली पर उपलब्ध नहीं किया गया है। जिसके अभाव में अपीलार्थी के कथन को सत्यापित करना संभव नहीं है। अपीलार्थी की अध्यापक के पद पर अस्थाई नियुक्ति आदेश दिनांक 18.09.1979 द्वारा हुई है और अध्यापक द्वितीय श्रेणी के पद पर वर्ष 1998–99 की रिक्तियों के विरूद्ध पदोन्नति आदेश दिनांक 20.07.2002 द्वारा की गई है। इसलिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या 11527/2014 स्टेट ऑफ पंजाब एवं अन्य बनाम रफीक मसीह में पारित निर्णय दिनांक 18.12.2014 में प्रतिपादित सिद्वांत को दृष्टिगत रखते हुए अपीलार्थी से सेवानिवृति पश्चात वसूली नहीं की जा सकती है। प्रतिपादित सिद्वांत का अंश नीचे उद्धत किया जा रहा हैः–

“Recovery from employee- Payment mistakenly made in excess of entitlement-in the following situations recovery held to be impermissible:

(i) --

(ii) Recovery from retired employees, or employees who are due to retire within one year, of the order of recovery.”

उसके पश्चात वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 17.08.2016 द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय में वर्णित आधारों के अनुसार वसूली नहीं किये जाने का आदेश पारित किया है जिसका प्रासंगिक अंश निम्न प्रकार हैः–

> **"3. The issue that was required to be adjudicated by the Hon'ble Supremu Court was whether all the private respondents, against whom an order of recovery (of the excess amount) has been made, should be**

exempted in law, from the reimbursement of the same to the employer. The Hon'ble Supreme Court while observing that it is not possible to postulate all situations of hardship which would govern employees on the issue of recovery, where payments have mistakenly been made by the employer, in excess of their entitlement has surnmarized the following few situations, wherein recoveries by the employees would be Impermissible in law:

(i) Recovery from employees belonging to Grade Pay upto Rs 2800/-

(ii) Recovery from retired employees, or employees who are due to retire 1 within one year, of the order of recovery.

(iii) Recovery from einployees, when the excess payment has been made for a period in excess of five years, before the order of recovery is, Issued.

(iv) Recovery in cases where an employee has wrongfully been required to discharge duties of a higher post, and has been paid accordingly. even though he should have rightfully been required to work against an inferior post.

(v) In any other case, where the Court arrives at the conclusion, that recovery If made from the employee, would be iniquitous or harsh or arbitrary to such an extent, as would far outweigh the equitable balance of the employer's right to recover."

प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपने जवाब में वसूली किये जाने के संबंध में भी कोई कथन नहीं किया है कि वसूली क्यों की गई है। मात्र विलंब के आधार पर अपील खारिज करने का निवेदन किया गया है।

अपीलार्थी द्वारा अपील में वेतन श्रृंखला 6500–10500 वेतन रूपये 8200/– पर स्थिरीकरण करने और अपीलार्थी की ग्रेच्यूटी का भुगतान भी अंतिम वेतन 8200/– मानते हुए और परिणामस्वरूप पैंशन संशोधित की जाकर समस्त परिलाभ व एरियर राशि का भुगतान 18 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दिलाने का अनुतोष चाहा गया है। परन्तु अपीलार्थी द्वारा अपने वेतन नियतन के संबंध में कोई भी दस्तावेज पत्रावली पर प्रस्तुत नहीं किया गया है। लिहाजा दस्तावेजात के अभाव में वेतन श्रृंखला 6500–10500 वेतन रूपये 8200/– नियत किये जाने एवं तदनुसार परिलाभ संशोधित करने के संबंध में कोई विवेचन संभव नहीं है।

उक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा जारी वसूली आदेश दिनांक 26.11.2005 जिसमें अपीलार्थी से रूपये 25796/– जमा कराये जाने हेतु निर्देशित किया जाकर उक्त राशि वसूल की

जा चुकी है, को अपास्त किया जाता है और प्रत्यर्थी विभाग को यह भी निर्देशित किया जाता है कि उक्त वसूल की गई राशि को 6 प्रतिशत मय ब्याज से अपीलार्थी को लौटाई जावे। उक्त निर्णय की पालना प्रत्यर्थी विभाग द्वारा 3 माह में सुनिश्चित की जावे।

आदेश आज दिनांक.....को हमारे द्वारा लिखाया जाकर मुद्रांकित एवं हस्ताक्षरित कर उद्घोषित किया गया।

(लेखराज तोसावडा)
सदस्य

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य